



बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)

बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)

फोन नंबर: 0612-2215001

ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com



सं०सं० 58/बी.एन.आर.सी./2023 / 1928/BNRC दिनांक 07/08/2023

—: सहमति पत्र —:

प्रेषक,

श्रीमती निर्जला कुमारी
निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
पूर्णिमा इंस्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग,
सुधा डेरी रोड, वार्ड सं०-10, पूर्णिमा-854303

विषय :- सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :- स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक 1041(6), दिनांक 04.07.2023.

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक BET/2023/09, दिनांक 26.07.2023 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1041(6), दिनांक 04.07.2023 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को जी०एन०एम० पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

अतः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1041(6), दिनांक 04.07.2023 के द्वारा संबंधित संस्थान को निर्गत मान्यता की सहमति के साथ एक सत्र (2023-24) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(निर्जला कुमारी)

निबंधक

ज्ञापांक-सं०सं०-58/बी.एन.आर.सी./2023...1928 स्वा०, पटना, दिनांक 07/08/2023

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)-सह-अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

07/08/23
निबंधक

07/08



बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना

नया सचिवालय, तीसरा तल्ला, कमरा संख्या 330 (A)

बेली रोड, पटना 800 015, (बिहार)

फोन नंबर: 0612-2215001

ईमेल आई.डी.: registar.bnrc@gmail.com



सं०सं० 58/बी.एन.आर.सी./2023 / 1929/BNRC दिनांक...07/...08/2023

—:: सहमति पत्र ::—

प्रेषक,

श्रीमती निर्जला कुमारी
निबंधक,
बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
पूर्णिमा इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग,
सुधा डेरी रोड, वार्ड सं०-10, पूर्णिमा-854303

विषय :- सहमति पत्र के संबंध में।

प्रसंग :- स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक 1040(6), दिनांक 04.07.2023.

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक BET/2023/09, दिनांक 26.07.2023 के आलोक में सूचित करना है कि स्वास्थ्य निदेशालय, बिहार सरकार आदेश ज्ञापांक 1040(6), दिनांक 04.07.2023 के द्वारा आपके प्रशिक्षण संस्थान को ए०एन०एम० पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों के साथ नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए मान्यता प्रदान की गई है।

अतः विभागीय आदेश ज्ञापांक 1040(6), दिनांक 04.07.2023 के द्वारा संबंधित संस्थान को निर्गत मान्यता की सहमति के साथ एक सत्र (2023-24) का निर्धारण किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(निर्जला कुमारी)

निबंधक

ज्ञापांक-सं०सं०-58/बी.एन.आर.सी./2023/1929/स्वा०, पटना, दिनांक 07/...08/2023

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निबंधक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मिठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- निदेशक प्रमुख(नर्सिंग)-सह-अध्यक्ष, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना, को सूचनार्थ प्रेषित।

निर्जला कुमारी
निबंधक

०५

**बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश**

आ0सं0-6/एन0-08-97/2022-.....

/पटना-15, दिनांक-.....

विभागीय आदेश ज्ञापांक-946(6), दिनांक-29.08.2022 द्वारा नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में विशप एजुकेशनल ट्रस्ट, सुधा डेयरी रोड, मारंगा बाईपास, पूर्णियाँ-854303 द्वारा प्रस्तावित पूर्णियाँ इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, सुधा डेयरी रोड, मारंगा बाईपास, पूर्णियाँ-854303 को ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापांक-122(6), दिनांक-27.01.2023 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 अशोक कुमार चौधरी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त पूर्णियाँ इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, सुधा डेयरी रोड, मारंगा बाईपास, पूर्णियाँ-854303 को नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में ए0एन0एम0 पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी।
- (ख) नर्सिंग ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) नर्सिंग संस्थान बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।
- (च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ (ii) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 - इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(डॉ0 अनिल कुमार तिवारी)

निदेशक प्रमुख,

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।